न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 49/2017

1– श्रीमती मंजू पत्नि मिश्री लाल उम्र बालिग जाति जाट निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

——————प्रार्थी

ब ना म

1 श्रीसुखदेव पुत्र श्री गोकल जाति माली उम्र बालिग निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

2– श्रीमती अलका पत्नि पवनदेव जाति ब्राहमण उम्र बालिग निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

3– श्रीमती प्रभा पत्नि श्री प्रकाश संचेती जाति जैन उम्र बालिग निवासी बिजयनगर

——————अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 1531 रक्बा 02–05–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाड़ी की जमाबंदी संवत 2073–76 के खाता संख्या 332 में ख0 न0 1531 रक्बा 02–05–00 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम बाड़ी स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 1531 रक्बा 02–05–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि जरिये नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी मसूदा